आरएनआर

रणजीत सिंह से पहले जे.

हरियाणा प्रगतिशील स्कूल सम्मेलन (पंजीकृत), *- याचिका*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य *- प्रतिवादी*

WdW *^orf की CWP संख्या 11223*

27 अप्रैल, 2011

भारत का संविधान, 1950-कला. 14, 19(एल)(जी) और 226—हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995—एस. 16(3), 17(4) और (5) और 21(3)-हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 (संशोधित)-रिस। 30(XVI), (XVII), 158, 159 और 160 - राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थानों ने सुविधाएं, बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को पूरा करने और कर्मचारियों को 6 के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए ट्यूशन फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है। वेतन आयोग - स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को कमी को पूरा करने और छात्रों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए पहले मौजूदा रिजर्व का उपयोग करने का निर्देश दिया - निदेशक (

टीजे 1994 (एल) एससीटी 716 (2) 2009(4)एससीटी 133 (3) 2010(4)एससीटी 360

वृद्धि के औचित्य की भी मांग की जा रही है - क्या प्रतिवादी के पास मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से ली जाने वाली फीस तय करने के लिए ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है - माना जाता है, नहीं - हालाँकि,

यदि संस्थान किसी भी तरह से मुनाफाखोरी का सहारा ले रहे हैं और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए फीस बढ़ा रहे हैं या कैपिटेशन शुल्क ले रहे हैं, तो निदेशक निश्चित रूप से उस हद तक शुल्क वसूलने को विनियमित करने में सक्षम स्थिति में होंगे, जिससे व्यावसायीकरण/मुनाफा आदि हो।

माना गया कि ट्यूशन फीस में 20% से अधिक की वृद्धि तय करने की सीमा तय करने वाला विवादित आदेश क़ानून के दायरे से बाहर है और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है। हालाँकि, मैं यहाँ यह जोड़ना चाहूँगा कि यदि स्कूल शिक्षा निदेशक को लगता है कि याचिकाकर्ता संस्थान किसी भी तरह से मुनाफाखोरी का सहारा ले रहे हैं और व्यावसायीकरण के उद्देश्य से शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं या कैपिटेशन शुल्क ले रहे हैं, तो निदेशक निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। शुल्क वसूलने में इस हद तक हस्तक्षेप करने के लिए निर्देश जारी करने में सक्षम स्थिति में हो कि इससे व्यावसायीकरण/मुनाफा आदि हो। याचिकाकर्ता संस्थानों को वार्षिक रिटर्न जमा करने की आवश्यकता के उत्तरदाताओं के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी गई है। फॉर्म IV में विवरण दें और यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाताओं के अधिकार में है। यदि यह माना जाए कि निदेशक के पास मुनाफाखोर व्यावसायीकरण या कैपिटेशन शुल्क वसूलने की जांच करने के लिए कोई निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है, तो इन रिपोर्टों को मांगना निरर्थक अनुष्ठान होगा। केवल यह पता लगाए बिना कि संस्थान कैपिटेशन शुल्क वसूल रहे हैं या मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यावसायीकरण में लिप्त हैं, शुल्क संरचना तय करने में हस्तक्षेप करने का अधिकार इन संस्थानों के इस व्यवसाय में शामिल होने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध होगा।

(पैरा 43)

अश्वनी कुमार चोपड़ा, सीनियर। आशीष चोपड़ा, अधिवक्ता और सुश्री के साथ अधिवक्ता। रूपा पठानिया, अधिवक्ता।

एचएल टिक्कू, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुमीत गोयल, अधिवक्ता और सुश्री के साथ। यशमीत, अधिवक्ता।

एमएस। राज्य के लिए श्रुति जैन, एएक्यू हरियाणा।

रमन शर्मा, अधिवक्ता।

डीडी शर्मा, अधिवक्ता

लोकेश सिंहल, अधिवक्ता

रणजीत सिंह, जे.

(1) *(एपिये एजुकेशन सोसायटी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) का निपटारा करेगा । 2009 का 15039 (एक ओपे जे एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य अन्य) । 17748of2009 (भगत सिंह बिष्ट और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। 2009 का 19311 (वेस्ट एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, और 2009 का सीओसीपी नंबर 2200 (भगत सिंह बिष्ट और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) अन्य) ।*

(2) गैर सहायता प्राप्त स्कूल ने या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने संगठन के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी आदेश/ज्ञापन संख्या 7/4/-09-पीएस(2) दिनांक 6 जुलाई 2009 को रद्द करने के लिए ये रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिसे कहा जाता है अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (एल) (जी) का उल्लंघन। आगे यह आग्रह किया गया है कि यह प्राकृतिक न्याय, समानता और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के विपरीत है। चूँकि इन सभी रिट याचिकाओं में कानून और तथ्य का सामान्य प्रश्न उठता है, इसलिए उन्हें इस सामान्य आदेश के माध्यम से निपटाया जा रहा है। तथ्य 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11223 से लिए गए हैं।

(3) यह रिट याचिका हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस (पंजीकृत) द्वारा इस दलील के साथ दायर की गई है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के अधिकांश सदस्य स्कूल लगभग बीस से तीस वर्षों से हरियाणा राज्य में स्कूल चला रहे हैं। सभी स्कूल अच्छी तरह से स्थापित हैं, अच्छी प्रतिष्ठा और बहुत साख रखते हैं। सभी स्कूल शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं और हरियाणा राज्य से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के बाद स्थापित किए गए हैं। स्कूल या तो सीबीएसई या आईसीएसई से संबद्ध हैं और विधिवत मान्यता प्राप्त हैं।

(4) एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान होने के कारण, स्कूलों को राज्य सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल रहा है और सुविधाएं, बुनियादी ढाँचा आदि स्कूल अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रदान किए जा रहे हैं। प्रबंधन सभी आवश्यकताओं को अपने संसाधनों से पूरा कर रहा है। प्रत्येक स्कूल की अपनी प्रबंध समिति होती है, जो समाज/ट्रस्ट के नियमों के नियंत्रण के अधीन कार्य करती है और शिक्षकों और कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के अलावा स्कूल की गतिविधियों की निगरानी करने की शक्ति रखती है। प्रबंध समिति शिक्षण की नियुक्ति करने के लिए भी जिम्मेदार है

और गैर-शिक्षण कर्मचारी और स्कूलों द्वारा लगाए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य वार्षिक शुल्कों के संबंध में भी जिम्मेदार हैं। यह दलील दी गई है कि स्कूलों को न केवल छात्रों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करने के लिए बल्कि अपने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए भी बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जिसके लिए इन स्कूलों को निर्धारित वेतन संरचना का पालन करना होगा। सरकार की ओर से। निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की स्थापना, प्रशासन और संचालन के लिए उपरोक्त उल्लिखित कृत्य अनिवार्य रूप से किए जाने आवश्यक हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि ऐसे स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा और अन्य सुविधाओं के मानक को देखते हुए, ऐसे स्कूलों में प्रवेश वांछनीय है। इस उच्च मानक को बनाए

रखने के लिए, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने स्वयं के स्रोतों से धन की आवश्यकता को पूरा करना होगा क्योंकि उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। इस प्रकार, यह दलील दी गई कि स्कूलों के पास छात्रों से पर्याप्त शुल्क लेने के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं है। याचिकाकर्ता यह जोड़ना चाहता है कि केवल आवश्यक वस्तुओं की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त शुल्क लिया जाता है और जो शिक्षा के मानक प्रदान करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

(5) इसके बाद याचिकाकर्ता दलील देंगे कि हर साल बढ़ती लागत और खर्चों को पूरा करने और उच्च मानक बनाए रखने के लिए, स्कूलों की संबंधित प्रबंध समितियों ने फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो सालाना किया जाता है। अब तक, स्कूल अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना और उत्तरदाताओं के हस्तक्षेप के बिना आवश्यकता के अनुसार शुल्क बढ़ाते रहे हैं। हालाँकि, 4 जून, 1999 को अधिनियमित हरियाणा शिक्षा संहिता के आगमन के साथ, चीजों में बदलाव आया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि हरियाणा राज्य ने राज्य में स्कूलों के कामकाज को विनियमित करने के उद्देश्य से शुरू में हरियाणा शिक्षा संहिता तैयार की थी और बाद में हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 (संक्षेप में "अधिनियम") लागू किया था, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया था। 4 जून, 1999 को राजपत्र। इस अधिनियम की धारा 24 राज्य को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 (संक्षेप में "2003 नियम") बनाए हैं, जो 30 अप्रैल, 2003 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों को चुनौती दी गई थी हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस (पंजीकृत) द्वारा 2003 के सीडब्ल्यूपी नंबर 13433 के माध्यम से इस आधार पर कि इन अधिनियमों ने राज्य में गैर-सहायता प्राप्त निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों/संस्थानों के अधिकारों को कम करने की मांग की थी। हालाँकि, यह अदालत निपटाने में प्रसन्न थी
उक्त रिट याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक स्कूल चलते रहेंगे। प्रतिवादी संख्या 3 की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के परिणामस्वरूप और याचिकाकर्ताओं के निर्णय को चुनौती देने के अधिकार को बरकरार रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि समिति द्वारा आज तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, बल्कि वर्ष 2007 में 2003 नियमों में संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2007 से लागू हो गए हैं। इस संशोधन के खिलाफ व्यथित होकर, याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने एक बार फिर 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5047 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना की कि उत्तरदाताओं को गैर-सहायता प्राप्त निजी तौर पर प्रबंधित सदस्य स्कूलों के काम में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए। इस अदालत ने प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए 3 मार्च, 2007 के नोटिस के संचालन पर रोक लगा दी, जिसके तहत हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त / गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर संशोधित नियमों के तहत मान्यता के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। सूचना। यह रिट याचिका स्वीकृत है और अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

(6) इस दौरान संबंधित सदस्य स्कूलों की प्रबंध समिति बिना किसी हस्तक्षेप या विरोध के समय-समय पर फीस में बढ़ोतरी करती रही। अब स्कूलों ने ऐसी फीस निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के लिए ट्यूशन फीस को 15% से 40% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह निर्णय न केवल बेहतर सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, बल्कि मुख्य रूप से अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिया गया है, जिसे उन्हें छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर पूरा करना होगा। . यह दलील दी गई है कि कुछ मामलों में, जो शुल्क लिया जा रहा है वह वेतन खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है और तदनुसार यह आग्रह किया जाता है कि छात्रों की संख्या बनाए रखने और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाए। , ट्यूशन फीस में पर्याप्त वृद्धि अपरिहार्य थी।
(1) 2009(11) SCALE 77
हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने 6 जुलाई, 2009 को एक सामान्य आदेश के जरिए कथित तौर पर 1995 अधिनियम की धारा 17 की धारा 4 और 5 के साथ पठित धारा 16(3), 21 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया और इसमें बनाए गए नियम बताए। वर्ष 2003 ने सभी गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2009-2010 से छात्रों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने *अन्य बातों के साथ-साथ* स्कूलों को निर्देश दिया है कि यदि उन्हें छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना है, तो
स्कूल पहले कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए मौजूदा भंडार का उपयोग करने की संभावना तलाश सकते हैं। यदि कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए ट्यूशन फीस को केवल कमी की सीमा तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, यह भी निर्देश दिया गया है कि ली जाने वाली ट्यूशन फीस किसी भी परिस्थिति में पिछले वर्ष की ट्यूशन फीस के 20% से नहीं बढ़ाई जाएगी। फॉर्म VI में वृद्धि का औचित्य भी मांगा गया था और इसे एक शर्त के रूप में प्रदान किया गया है कि केवल उन्हीं स्कूलों को, जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर 2003 के नियमों के नियम 158 के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म VI में जानकारी जमा की है, उन्हें अनुमति दी जाएगी। शुल्क बढ़ाओ. जिन स्कूलों ने शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 के लिए अपनी जानकारी जमा नहीं की थी, उन्हें निर्देशों का पालन करने के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया गया था। शुल्क में वृद्धि, यदि कोई हो, 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होनी थी। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने इस निर्देश को इस आधार पर चुनौती देने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से ली जाने वाली फीस। यह कहा गया है कि अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रतिवादी नंबर 2 को इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार दे। इस संबंध में किसी भी प्रावधान का उल्लेख आक्षेपित आदेश में नहीं किया गया है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को ट्यूशन फीस बढ़ाने की अनुमति देने वाले इस अनुबंध को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

(7) प्रारंभ में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से एक संक्षिप्त लिखित बयान दायर किया गया था।
IN PUNJAB AND HARYANA 2011(2)
बाद में, दायर किए गए लिखित बयान में विस्तृत दलीलें उठाई गईं। प्रतिवादी आक्षेपित आदेश पारित करने में कार्रवाई को उचित ठहराएंगे और तर्क देंगे कि यह प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकार क्षेत्र में है। अधिनियम की धारा 16(3) का संदर्भ दिया गया है जो यह प्रदान करता है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले, स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान ऐसे सभी स्कूलों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का पूरा विवरण निदेशक के पास दाखिल करना आवश्यक है। तदनुसार अनुरोध किया जाता है कि कोई भी स्कूल उक्त विवरण में निर्दिष्ट कोई शुल्क नहीं ले सकता है। ऐसा शुल्क स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप होना चाहिए। उत्तरदाताओं के अनुसार, धारा 16(3) एक नियामक प्रकृति की है और इसलिए गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल शुल्क संरचना निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकते हैं। तदनुसार यह दलील दी गई है कि अधिनियम की धारा 16(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को चलाने के याचिकाकर्ता-संस्थान के अधिकार पर उचित प्रतिबंध के रूप में है।

(8) संक्षिप्त उत्तर में, 11 दिसंबर, 2006 को आयोजित सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों की बैठक की कार्यवाही का उल्लेख किया गया है, जहां इस आशय के कुछ निर्णय लिए गए थे कि सभी स्कूल स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करेंगे और 2003 नियम के प्रावधान। इस निर्णय के अनुसार, यह सहमति हुई कि ली गई फीस और प्रदान की गई सुविधाओं का विस्तृत तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका, लेकिन प्रबंधन को आगामी शैक्षणिक सत्र में पीटीए की बैठक से पहले फीस संरचना का अपना प्रस्ताव

प्रस्तुत करना था और बदलाव किया गया। यदि कोई हो, तो अर्थ समिति और पीटीए द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। तदनुसार यह कहा गया है कि पीटीए के साथ स्कूल शुल्क संरचना पर काम करने के लिए खुले होंगे, जबकि विभाग को कानून के अनुसार विसंगतियों/विसंगतियों से निपटना होगा। इसे एक संतुलित दृष्टिकोण कहा जाता है जो स्कूलों को फीस संरचना तय करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा और दूसरी ओर कानून के अनुसार मतभेदों, यदि कोई हो, को दूर करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। उत्तरदाताओं का तर्क है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अपनी पसंद की कोई भी शुल्क संरचना निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकते हैं। उत्तरदाताओं के अनुसार, स्कूलों को पूर्ण रूप से अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा करने के लिए उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। राज्य एक उचित शुल्क संरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य कर्तव्य के तहत होने का दावा करता है, जिसे शोषणकारी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह बताया गया है कि स्कूली शिक्षा न तो पूरी तरह से व्यवसायिक या वाणिज्यिक गतिविधि है और न ही लाभ कमाने वाला व्यवसाय है। एक हद तक यह एक सामाजिक दायित्व है। उत्तरदाताओं के अनुसार, स्कूली शिक्षा एक सार्वजनिक उद्देश्य और सार्वजनिक कर्तव्य है और चूंकि राज्य स्कूली शिक्षा की सुविधाओं पर एकाधिकार नहीं कर सकता है, इसलिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को स्कूल स्थापित करने की अनुमति है। ये स्कूल भले ही सहायता रहित हों लेकिन सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में ये राज्य के भागीदार हैं। उत्तरदाता आगे दलील देंगे कि निजी और सरकारी दोनों स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूली शिक्षा उन सभी तक पहुंचे, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार, यह कहा गया है कि राज्य हमेशा उचित प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि स्कूल चलाना पूरी तरह से एक वाणिज्यिक या व्यावसायिक गतिविधि नहीं है।

(9) उत्तरदाताओं का आग्रह है कि आदेश, अनुबंध पी-1, अधिनियम और नियमों में प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। निर्देश/प्रतिबंध, यदि कोई हों, उचित, उचित और उचित हैं। यह बताया गया है कि स्कूलों को पिछले वर्ष की ट्यूशन फीस के 20% तक ट्यूशन फीस बढ़ाने की छूट दी गई है, जो कि काफी वृद्धि है। इस प्रकार, स्कूल कोई शिकायत नहीं कर सकते। आदेश के उस हिस्से का भी हवाला दिया गया है□

जहां स्कूलों को कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा भंडार का उपयोग करने की सभी संभावनाएं तलाशने के लिए कहा गया है। यह बताया गया है कि स्कूल समय-समय पर शुल्क संरचना में बार-बार संशोधन करते रहे हैं और दस वर्षों के अंतराल के बाद अब वेतन संरचना में वृद्धि की गई है। अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए, उत्तरदाताओं ने दलील दी कि स्कूलों के लिए पहले मौजूदा भंडार का उपयोग करना उचित होगा, जो एक संतुलित दृष्टिकोण होगा। उत्तरदाताओं के अनुसार, टी.एमए पाई फाउंडेशन के मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया फैसला निजी स्कूलों को फीस संरचना निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता है जो मनमाना हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है। आगे दलील यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुल्क संरचना तैयार करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी है।

(10) उत्तरदाताओं द्वारा दायर विस्तृत लिखित बयान में, रिट याचिका की विचारणीयता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति जताई गई है। यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता स्कूल हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के 2 (बी) के तहत वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के समक्ष लागू आदेश को अच्छी तरह से चुनौती दे सकते हैं। धारा 16 (3) और (4) पर निर्भरता रखी गई है।) अधिनियम और नियमों के प्रावधान, जो उत्तरदाताओं के अनुसार, उन्हें छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क संरचना और अन्य फंडों को तैयार करने और विनियमित करने के लिए सशक्त बनाएंगे। तदनुसार कहा गया है कि ये कानूनी प्रावधान स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की फीस संरचना हमेशा निर्धारित उचित प्राधिकारी, यानी निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा के अनुमोदन के अधीन है और उनकी सहमति के बिना, फीस संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ऐसे फॉर्मों का संदर्भ देने के अलावा, नियमों के अनुसार फॉर्म-VI जमा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। उत्तर के अनुसार ये फॉर्म कथित तौर पर प्रक्रियाधीन थे। **एक्शन कमेटी, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल और अन्य** *बनाम* **शिक्षा निदेशक, नई दिल्ली (1)** के मामले का संदर्भ दिया गया है , जहां यह माना जाता है कि "उचित शुल्क संरचना स्थापित करना भी स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार का एक घटक है" पाई फाउंडेशन में घोषित कानून के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अर्थ के भीतर संस्था। प्रत्येक संस्थान अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि कोई मुनाफाखोरी न हो और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कैपिटेशन शुल्क न लिया जाए। उत्तरदाताओं के अनुसार, व्यावसायीकरण और शोषण को रोकना प्रशासक या शिक्षा निदेशक का दायित्व है□

HARYANAPROGRESSIVE SCHOOLS' CONFERENCE (REGD.) #
v. STATE OF HARYANAAND OTHERS
(Ranjit Singh, J.)

निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय। इसमें अभिभावकों को बकाया बढ़ोतरी के भुगतान के लिए जारी किए गए नोटिस और रिमाइंडर का हवाला दिया गया है, जिसे अमानवीय बताया गया है। तदनुसार, वेतन में संशोधन के कारण शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के बकाया और धनराशि वसूलने में शुल्क वृद्धि के खिलाफ नाराजगी थी, जिसे मिलेनियम पेरेंट्स एसोसिएशन, गुड़गांव और कुछ अन्य संघों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदन के माध्यम से आवाज उठाई गई थी। तब यह पाया गया कि उपरोक्त संस्थान अधिनियम और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना शुल्क संरचना में वृद्धि की थी। शुल्क संरचना को विनियमित करने के लिए विवादित आदेश जारी किया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं के लिए कानूनी, वैध और बाध्यकारी बताया गया है।

(11) पक्षों के वकीलों ने कुछ दिनों में विस्तृत दलीलें पेश की हैं और बड़ी संख्या में उदाहरणों का हवाला दिया है, जिनमें से ज्यादातर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हैं। आक्षेपित आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों का सार इस आधार पर है कि सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने की लागत में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी उचित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 2006-2009 तक छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन में 75% की वृद्धि हुई है। बैंक की ब्याज दरें बढ़ गई हैं. बिजली शुल्क और उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रमाणित करने हेतु प्रशिक्षण की लागत में भी 2006-09 से 100% की वृद्धि हुई है। पुराने और अप्रचलित हो चुके कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर को खरीदने/बदलने की लागत भी बढ़ गई है और मरम्मत और रखरखाव की लागत में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता तदनुसार दलील देंगे कि प्रतिवादियों द्वारा विवादित आदेश जारी करते समय इन सभी कारकों को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को वेतन में वृद्धि के कारण होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अपने रिजर्व का उपयोग करने का निर्देश देना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जैसा कि निर्देश दिया गया है, वेतन बढ़ाने के लिए 20% की सीमा लगाने का उत्तरदाताओं के पास कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता यह भी आग्रह करेंगे कि जहां फॉर्म-VI जमा नहीं किया गया है, वहां कोई वृद्धि आदेश भी अत्यधिक मनमाना नहीं है।

(12) याचिकाकर्ताओं के वकील ने मुख्य रूप से आग्रह किया है कि आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है और अवैध है क्योंकि प्रतिवादियों के पास निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, अधिनियम की धारा 16(3), 21(3) और 17(4) और (5) और नियम 30(XVI), (XVII), 158, 159 और 160 कोई प्रावधान नहीं करते हैं। ऐसी शक्ति और वैसी

आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है। याचिकाकर्ता **ईएम.ए. के मामले पर बहुत अधिक भरोसा करेंगे। पाई फाउंडेशन** *बनाम* **कर्नाटक राज्य (2)** यह आग्रह करने के लिए कि निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान का सार स्वायत्तता है और अधिकतम स्वायत्तता शुल्क तय करने में है। निवेदन यह है कि शुल्क तय करने का निर्णय स्कूलों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और टीएमए **पाई केस** (सुप्रा) में व्यक्त विचार के अनुसार कठोर शुल्क संरचना तय करना एक अस्वीकार्य प्रतिबंध है।

(13) **इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन और अन्य** *बनाम* **कर्नाटक राज्य और अन्य (3)** के मामले पर भरोसा किया गया है , जहां टी.एमए पई के फैसले का पालन किया गया है। **पीए इनामदार और अन्य** *बनाम* **महाराष्ट्र राज्य और अन्य (4)** के मामले का भी संदर्भ दिया गया है , जहां अदालत ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान इस सीमा के अधीन अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है कि कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है। आरोप लगाया गया और कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता उन्नी **कृष्णन, जेपी और अन्य** *बनाम* **आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (5) के मामले का हवाला देंगे,** जहां अदालत ने निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका और निजी फंडिंग की आवश्यकता पर जोर दिया था। **कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और अन्य** *बनाम* **थॉमस पी. जॉन और अन्य (6) के** मामले में कानून के नियम के आधार पर , यह आग्रह किया जाता है कि फीस निर्धारण के मामले में एक शैक्षणिक संस्थान को उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। . वकील द्वारा कई अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया गया और उन पर भरोसा किया गया, जिनका संदर्भ मुद्दों से निपटने के दौरान प्रासंगिक स्थान पर दिया जाएगा।

(14) इसके विपरीत, माता-पिता के कुछ संघों के साथ उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले वकील याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों की पंक्ति में गंभीरता से शामिल होंगे। यहां यह देखा जा सकता है कि विविध. कुछ अभिभावक संघों, जैसे कि फ़रीदाबाद मिडल स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन, डायनेस्टी पैरेंट्स एसोसिएशन, फ़रीदाबाद और आयशर पैरेंट्स एसोसिएशन द्वारा पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन दायर किए गए थे। हालाँकि, इस अदालत का विचार था कि इस मुद्दे पर अनुमति दिए बिना भी आसानी से और प्रभावी ढंग से निर्णय लिया जा सकता है

(2) एआईआर 2003 एससी 355 = (2002) 8 एससीसी 481
(3) एआईआर 2003 एससी 3724 = (2003) 6 एससीसी 697
(4) (2005) 6 एससीसी 537
(5) एआईआर 1993 एससी 2178 - (1993) 1 एससीसी 645
(6) (2008) 8 एससीसी 82

संघों ने एक पार्टी बनने की बात कही। हालाँकि, न्याय के हित में, इन संस्थानों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कोई याचिका दायर किए बिना। ऐसे मूल संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को तदनुसार सुना गया है, हालांकि, *प्रथम दृष्टया* मेरा विचार है कि उनका कोई अधिकार नहीं है। मामले के लंबित रहने के दौरान, अदालत ने प्रतिवादी-राज्य को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए थे और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई की अगली तारीख तक अनुमति से अधिक कोई बढ़ी हुई फीस नहीं लेने का निर्देश दिया था। यह आदेश 12 अक्टूबर, 2009 को पारित किया गया था। अंतरिम आदेश बाद में जारी रखा गया था। एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी जिसे इन रिट याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए रखा गया था।

(15) उत्तरदाताओं के वकील ने संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित निर्देशक सिद्धांत पर भरोसा किया है, जिसके तहत राज्य को शिक्षा का अधिकार हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करना है। यह प्रस्तुत करने के लिए **एपी सरकार** *बनाम* **मेडविन एजुकेशनल सोसाइटी (7)** के फैसले पर भरोसा किया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार हालांकि अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध है और धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत मामले और अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के मामले, लेकिन ये उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। तदनुसार दलील यह है कि अदालत को यह देखना है कि प्रतिबंध हैं या नहीं। तदनुसार दलील यह है कि अदालत को यह देखना है कि हरियाणा राज्य द्वारा विवादित परिपत्र के माध्यम से लगाया गया प्रतिबंध उचित है या नहीं। फिर शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों और प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ली जाने वाली फीस का विवरण दाखिल करने की आवश्यकता का संदर्भ दिया जाता है। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकार शिक्षा को विनियमित कर सकती है। सर्कुलर को सही ठहराने के लिए, राज्य के वकील दलील देंगे कि उन्हें बढ़े हुए वेतन के कारण कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए मौजूदा रिजर्व का उपयोग करना है और इसे धारा 16(3) के संदर्भ में जारी किया जा सकता है। इस प्रकार, वकील मौजूदा शुल्क के 20% से अधिक शुल्क न बढ़ाने के निर्देश को उचित ठहराएगा, जो धारा 16(3) और नियम 158 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(16) वकील आगे कहेंगे कि 20% से अधिक फीस बढ़ाने के औचित्य के सवाल का जवाब स्कूलों के पक्ष में दिया जा सकता है, यदि वे दिखाते हैं कि रिजर्व के उपयोग के बावजूद, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे।

(7) एआईआर 2004 एससी613

शिक्षकों के बढ़े हुए वेतन को पूरा करें। यह स्वीकार करते हुए कि भले ही क़ानून में प्रतिवादी-सरकार को सीमा लगाने के लिए अधिकृत करने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति होगी। इस संदर्भ में, **मॉडर्न स्कूल** *बनाम* **यूनियन ऑफ इंडिया (8)** के मामले और एक्शन कमेटी के मामले में समीक्षा के निर्णय का संदर्भ दिया गया है। अनएडेड प्रा. स्कूल (सुप्रा)। प्रस्तुतीकरण यह है कि इन मामलों में, यह देखा गया है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना ट्यूशन फीस की दर में वृद्धि नहीं करेंगे। उत्तरदाताओं के वकील *टीएमए पाई, आरए के मामलों पर भी भरोसा करेंगे। इनामदार* और *इस्लामिक अकादमी* (सुप्रा) ने दलील दी कि जहां उचित कानून नहीं है, वहां समितियां गठित करके भी शुल्क को विनियमित किया जा सकता है। तदनुसार, प्रतिवादी अनुरोध करेंगे कि रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाएं।

(17) पक्षों के वकील द्वारा दी गई संबंधित दलीलों के आधार पर, विचार के लिए उठने वाले मुद्दों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

(a) क्या सरकार के पास अनुबंध पी-1 की प्रकृति का निर्देश जारी करने की शक्ति है;

(b) क्या सरकार के पास अधिनियम के तहत या अदालतों द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में शुल्क की

वृद्धि पर रोक लगाने की कोई शक्ति होगी;

(c) क्या स्कूलों के पास फीस बढ़ाने की बेलगाम और अनियंत्रित शक्ति है;

(d) क्या सभी स्कूलों के संबंध में समान रूप से शुल्क बढ़ाने का निर्देश जारी किया जा सकता है;

(e) क्या प्रतिवादी-राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देश याचिकाकर्ता-संस्था के मौलिक अधिकार को कम कर देंगे या इसे संवैधानिक वैधता की परीक्षा पास करने के लिए उचित प्रतिबंध कहा जा सकता है;

(18) आइए सबसे पहले उस अधिनियम के प्रावधानों को देखें जिसके तहत विवादित आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में मुख्य प्रावधान अधिनियम की धारा 16(3) है और वह इस प्रकार है:-

(19) प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रबंधक, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले, निदेशक के पास फाइल करेगा

(8) एआईआर 2004 एससी 2236

आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान ऐसे स्कूल द्वारा लगाई जाने वाली फीस का पूरा विवरण, और निदेशक की पूर्व मंजूरी के अलावा ऐसा कोई भी स्कूल शैक्षणिक सत्र के दौरान अपने प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट शुल्क से अधिक कोई शुल्क नहीं लेगा। उक्त कथन. ऐसी फीस ऐसे स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

(19) नियम 158 शुल्क और निधि को अधिसूचित करने से संबंधित है और निम्नानुसार है

"फीस और फंड को अधिसूचित करना।—धारा 24(2), 25,16 और 17।

(1) विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस और धनराशि प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक को दी जा रही न्यूनतम सुविधाओं और ली जाने वाली अधिकतम फीस का विवरण फॉर्म छह में जमा करना होगा। वह प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले, विभाग के पास सुनिश्चित शैक्षणिक सत्र के दौरान ऐसे स्कूल द्वारा लगाई गई फीस और सभी प्रकार के फंडों का पूरा विवरण दाखिल करेगा, जो इसे उचित ठहराएगा। ऐसा कोई भी स्कूल शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रबंधक द्वारा उक्त विवरण में निर्दिष्ट शुल्क/निधि से अधिक कोई शुल्क नहीं लेगा। प्रत्येक स्कूल को हर साल 1 जनवरी तक विधिवत भरा हुआ प्रोफार्मा उपयुक्त प्राधिकारी को जमा करना होगा जो इन विवरणों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा। इस तरह के शुल्क उसके वैम्पर में प्रदर्शित होने के बाद ही लगाए जा सकते हैं।

(3) बच्चों/अभिभावकों से कैपिटेशन शुल्क जैसा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(4)) किसी भी स्कूल को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क, छात्र निधि से अग्रिम शुल्क लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि एक टोकन पंजीकरण शुल्क लिया जा सकता है।

(5) नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर एसएलसी के लिए आवेदन करने वाले छात्र से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी) शुल्क को छोड़कर कोई प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(6) प्रवेश शुल्क केवल कक्षा 1, 6, 9 और 11 में प्रवेश या स्कूल में नए प्रवेश के समय ही छात्र से लिया जाएगा।

(7) छात्रों से फीस अधिमानतः बैंक के माध्यम से ली जाएगी।]"

(20) अधिनियम की धारा 17 स्कूल फंड के संबंध में एक प्रावधान करती है और इसकी उपधारा (4) में प्रावधान है कि गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस के माध्यम से प्राप्त आय का उपयोग केवल ऐसे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं। धारा 17 की उपधारा (4) और (5) इस प्रकार हैं:-

(21) (ए) गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस के माध्यम से प्राप्त आय का उपयोग केवल ऐसे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं; और

(22) स्कूल द्वारा प्राप्त किए गए शुल्क और भुगतान और अन्य सभी योगदान, बंदोबस्ती और उपहार का उपयोग केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उन्हें वसूला गया या प्राप्त किया गया था। अनिर्दिष्ट उपहारों का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी किया जाएगा।

(5) प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल की प्रबंध समिति हर साल निदेशक के पास ऐसे विधिवत ऑडिट किए गए वित्तीय और अन्य रिटर्न दाखिल करेगी जो निर्धारित किए जा सकते हैं और ऐसे प्रत्येक रिटर्न का ऑडिट ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

(21) धारा 21 स्कूलों के कामकाज में दोषों या कमियों को सुधारने के लिए निर्देश देने की निदेशक की शक्ति से संबंधित है। इस प्रावधान का भी उल्लेख किया जा सकता है और यह इस प्रकार है:-

(22) **विद्यालयों का निरीक्षण.-** (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ऐसी रीति से निरीक्षण किया जाएगा जो विहित की जाए।

(2) निदेशक किसी स्कूल के कामकाज के ऐसे पहलुओं पर विशेष निरीक्षण की व्यवस्था भी कर सकता है, जो समय-समय पर उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(3) निदेशक प्रबंध समिति को निरीक्षण के समय या अन्यथा स्कूल के कामकाज में पाए गए दोषों या कमियों को सुधारने के लिए निर्देश दे सकता है।

(4) यदि प्रबंध समिति उप-धारा (3) के तहत दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है, तो निदेशक, प्रबंध समिति द्वारा दिए गए या दिए गए स्पष्टीकरण या रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह समझे फिट, सहित-

(a) सहायता रोकना (सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में)'

(b) मान्यता वापस लेना; या

(c) प्रबंधन का कार्यभार संभालना।"

(22) आक्षेपित आदेश को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निदेशक ने हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) और (5) के साथ पठित धारा 16(3), 21(3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। यहां अनुलग्नक पी-1 के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों का संदर्भ देना सुविधाजनक होगा और वह इस प्रकार है:-

"हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 17 की उपधारा (4) और (5) के साथ पठित धारा 16(3), 21 (3) और नियम 30 (XXVI), (XXVII) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के 158,159,160 और आयुक्त एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा को प्रदत्त अन्य सभी शक्तियां, मैं अनुराग रस्तोगी, आयुक्त एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा इसके द्वारा सभी मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को निम्नलिखित निर्देश देता हूं हरियाणा राज्य में शैक्षणिक सत्र 2009-2010 से छात्रों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए:-

1. यदि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल ने छठे वेतन आयोग के मद्देनजर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है, तो वह सबसे पहले कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए मौजूदा रिजर्व का उपयोग करने की संभावना तलाश सकता है। यदि कमी को मौजूदा भंडार से पूरा नहीं किया जा सकता है तो यह बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए धन की कमी की सीमा तक छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस को बढ़ा सकता है।

   हालाँकि, छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस किसी भी परिस्थिति में पिछले वर्ष की ट्यूशन फीस के 20% से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। फीस में वृद्धि का विस्तृत औचित्य उपयुक्त प्राधिकारी को फॉर्म VI में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. उपरोक्त शर्त के अधीन केवल उन्हीं विद्यालयों पर जो
   निर्धारित अवधि के भीतर हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 18 के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म VI में जानकारी जमा करने पर फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

3. जिन स्कूलों ने अपनी जानकारी जमा नहीं की है
   शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए फॉर्म VI में इसे जमा करने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि दी गई है।

4. शुल्क में वृद्धि, यदि कोई हो, 01 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगी।"

(23) धारा 16(3) के अनुसार प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक को आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस का पूरा विवरण निदेशक के पास दाखिल करना होगा और उसके बाद कोई भी स्कूल, निदेशक की पूर्वानुमति के बिना, अपने द्वारा निर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है। उक्त बयान में मैनेजर मो. अनुभाग में आगे प्रावधान है कि ऐसी फीस ऐसे स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए। धारा 17(4) गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में प्रावधान करती है और यह केवल ऐसे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए जो निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रावधान किया गया है कि स्कूल द्वारा प्राप्त किए गए शुल्क और भुगतान और अन्य सभी योगदान, बंदोबस्ती और उपहारों का उपयोग केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए ये वसूले गए या प्राप्त किए गए हैं। धारा 17 की उपधारा (5) में स्कूल की प्रबंध समिति को हर साल निदेशक के पास विधिवत ऑडिटेड वित्तीय और अन्य रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। अधिनियम की धारा 21 निदेशक को निरीक्षण के समय या अन्यथा स्कूल के कामकाज में पाए गए दोषों या कमियों को सुधारने के लिए प्रबंध समिति को निर्देश देने की शक्ति देती है। नियमावली के नियम 158 में यह प्रावधान करते हुए फीस और फंड को अधिसूचित करने की बात कही गई है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस और फंड को अधिसूचित किया जाएगा। नियम 158(2) के अनुसार प्रबंधक को फॉर्म-VI में प्रदान की जा रही सुविधाओं और ली जाने वाली अधिकतम फीस का विवरण जमा करना होगा। यह

शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में फॉर्म दाखिल करना आवश्यक है और स्कूल प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट शुल्क/निधि से अधिक कोई शुल्क नहीं ले सकता है। फिर नियम 158(3) एक विशिष्ट प्रावधान करता है कि "बच्चों/माता-पिता से कैपिटेशन शुल्क जैसा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।" नियम 150 प्रत्येक शुल्क और एकत्रित धनराशि के लिए मुद्रित रसीद जारी करने का प्रावधान करता है और ऐसी कोई भी फीस या धनराशि एकत्र करने वाले कर्मचारी को ऐसे संग्रह का विवरण तुरंत कक्षा के उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है। नियम 160 विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रेड क्रॉस फंड, बाल कल्याण फंड और खेल फंड के अलावा किसी भी फंड को छात्रों से वसूलने पर रोक लगाता है।

(24) प्रासंगिक प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण से प्रथम *दृष्टया* पता चलता है कि निदेशक के पास ट्यूशन शुल्क पर रोक लगाने की कोई सक्षम शक्ति नहीं है। इन सभी प्रावधानों के लिए स्कूल को फीस का पूरा विवरण दाखिल करना होगा, जिसे स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए वसूलने जा रहा है और न्यूनतम सुविधाओं के विवरण के बारे में विवरण दाखिल करने के प्रावधान किए गए हैं। प्रतिबंध, यदि कोई हो, प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क लेने के लिए है और यदि कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाना है, तो निदेशक की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालाँकि उत्तरदाताओं के वकील इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि ये प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सरकार शिक्षा को विनियमित कर सकती है, लेकिन कठिनाई को महसूस करते हुए यह स्वीकार करना पड़ा कि भले ही क़ानून में सरकार को सीमा लगाने के लिए अधिकृत करने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, फिर भी ऐसा होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार अनुमन्य हो। इसलिए, यह देखने के लिए कि क्या ऐसी सक्षम शक्ति है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है या के अनुपात से उभरेगी, पार्टियों के वकील द्वारा संदर्भित और भरोसा किए गए निर्णयों का संदर्भ देना होगा। इन मामलों में निर्धारित कानून.

(25) इस संबंध में दोनों पक्षों ने टी.एमए **पाई फाउंडेशन** *(सुप्रा) के मामले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।* इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर विस्तार से विचार किया है। पहला मुद्दा जिस पर न्यायालय ने विचार किया है वह इस शीर्षक के तहत है कि "क्या शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार है और यदि हां तो किस प्रावधान के तहत है।" निर्णयों में विभिन्न प्रावधानों का संदर्भ देने के बाद, न्यायालय ने इस संबंध में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन जहां बड़ी संख्या में लोग शिक्षक या प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, और वहां गतिविधियां की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप

छात्रों को ज्ञान प्रदान करना आवश्यक रूप से एक व्यवसाय माना जाना चाहिए, भले ही इसमें लाभ सृजन का कोई तत्व न हो। यह समझना कठिन है कि शिक्षा, कला की चार अभिव्यक्तियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आएगी। 19(1)(जी). "व्यवसाय" किसी व्यक्ति की आजीविका के साधन या जीवन में एक मिशन के रूप में की गई गतिविधि होगी। सोदान सिंह

के मामले में उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियाँ कला में "कब्जा" अभिव्यक्ति की सही व्याख्या करती हैं। 19(1)(प्र.)

(26) न्यायालय ने तब इस तथ्य पर विचार किया था कि **क्या उन्नी कृष्णन** *(सुप्रा) के* मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस मामले में, अदालत ने शर्त और विनियमन, यदि कोई हो, पर विचार किया था, जिसे राज्य निजी गैर सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त या संबद्ध शैक्षणिक संस्थान चलाने, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने में लगा सकता है। **उन्नी में अदालत कृष्णन** *(सुप्रा)* का विचार था कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त/असंबद्ध शिक्षा संस्थान समान पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस से अधिक शुल्क लेने के हकदार हैं, लेकिन ऐसा शुल्क निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। राज्य। इस संबंध में **टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले** *(सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

> "यहां ऊपर चर्चा के मद्देनजर, हम मानते हैं कि उन्नी कृष्णन के मामले में निर्णय, जहां तक प्रवेश देने और शुल्क तय करने से संबंधित योजना तैयार की गई थी, सही नहीं था, और उस हद तक, उक्त निर्णय और यूजीसी, एआईसीटीई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र और राज्य सरकारों आदि को दिए गए परिणामी निर्देशों को खारिज कर दिया गया है।

(27) उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में न्यायालय द्वारा बनाई गई और सरकार द्वारा अपनाई गई योजना को संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय का विचार था कि **उन्नी कृष्णन के** फैसले ने कुछ समस्याएं पैदा की हैं और पेचीदा मुद्दे खड़े किये हैं। अदालत ने शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने की चिंता में, इस धारणा पर "मुफ़्त" और "भुगतान" सीटों की एक योजना बनाई कि प्रवेशित छात्रों में से पहले 50% की आर्थिक क्षमता शेष 50% से अधिक होगी, जबकि इसका उलटा साबित हुआ है एक वास्तविकता बनने के लिए. यह देखते हुए कि आम तौर पर एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का कारण□

शिक्षा प्रदान करना है और ऐसे संस्थान को योग्य और अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होगी और उचित सुविधाओं और उपकरणों की भी आवश्यकता होगी जिसके लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। शिक्षकों को भी उचित वेतन दिया जाना आवश्यक है। इसलिए, अदालत को यह मानना था कि **उन्नी कृष्णन के** मामले ने शैक्षणिक संस्थान को कुशलतापूर्वक चलाने को असंभव नहीं तो कठिन जरूर बना दिया है। अन्यथा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय टी.पी.ए. **पई के मामले** *(सुप्रा) में* **उन्नी कृष्णन के मामले** में अदालत की टिप्पणी का उल्लेख किया गया था , जिसमें यह देखा गया था कि निजी शैक्षणिक संस्थान वर्तमान संदर्भ में एक आवश्यकता हैं। यह भी देखा गया कि उनके बिना ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि सरकारें विशेष रूप से चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, जिसके लिए पर्याप्त परिव्यय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को उचित रूप से मान्यता दी गई।

(28) **टीएमए पाई के मामले** *(सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निजी संस्थान को विनियमित करने की सरकार की शक्ति पर भी विचार किया और यदि ऐसा है तो यह किस हद तक किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार में मोटे तौर पर छात्रों को प्रवेश देने, उचित शुल्क संरचना स्थापित करने, एक शासी निकाय का गठन करने, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करने और यदि कोई हो तो कार्रवाई करने का अधिकार शामिल है। किसी भी कर्तव्य की उपेक्षा. विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, अदालत ने अंततः माना कि एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नियामक उपाय उचित शैक्षणिक मानकों आदि के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए। इतना ही नहीं, अदालत ने कहा कि एक कठोर शुल्क संरचना तय करना, आदेश देना एक शासी निकाय का गठन और संरचना, नियुक्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का अनिवार्य नामांकन या प्रवेश के लिए छात्रों को नामांकित करना एक अस्वीकार्य प्रतिबंध होगा। इस मंदता में प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:•—

> "54. शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है; लेकिन ऐसे नियामक उपाय, सामान्य तौर पर, उचित शैक्षणिक मानकों, माहौल और बुनियादी ढांचे (योग्य कर्मचारियों सहित) के रखरखाव और प्रबंधन के प्रभारी लोगों द्वारा गलत प्रवेश की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए। एक कठोर शुल्क संरचना तय करना, एक शासी निकाय के गठन और संरचना को निर्देशित करना, नियुक्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का अनिवार्य नामांकन या प्रवेश के लिए छात्रों को नामांकित करना अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे।
>
> 56. एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम आमतौर पर शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं जिन्हें निर्धारित योग्यता के अनुसार भर्ती किया जाना चाहिए। यह कोई रहस्य नहीं है कि बेहतर कार्य परिस्थितियाँ बेहतर शिक्षकों को आकर्षित करेंगी। अधिक सुविधाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि बेहतर छात्र उस संस्थान में प्रवेश लेंगे। इस तथ्य को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि सक्षम शिक्षण संकाय और अन्य बुनियादी ढांचे के रूप में छात्रों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने में पैसा खर्च होता है। इसलिए, यह संस्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए, यदि वह सरकार से कोई सहायता नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो वह छात्रों से शुल्क के पैमाने को निर्धारित करेगा। इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज हम एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में रहते हैं, जहां व्यावसायिक शिक्षा की मांग है। हमें यह समझने दिया गया है कि बड़ी संख्या में पेशेवर और अन्य संस्थान निजी पार्टियों द्वारा शुरू किए गए हैं जो कोई सरकारी सहायता नहीं चाहते हैं। एक अर्थ में, एक भावी छात्र के पास विभिन्न विकल्प खुले होते हैं, इसलिए, आम तौर पर आर्थिक ताकतों को भुगतान करने की भूमिका होती है। ली जाने वाली फीस पर निर्णय आवश्यक रूप से निजी शैक्षणिक संस्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो सरकार से कोई फंड नहीं मांगता है या उस पर निर्भर नहीं है।
>
> 57. इसलिए, हम एक बिंदु पर जोर देना चाहते हैं, और वह यह है कि चूँकि शिक्षा का व्यवसाय, एक अर्थ में, धर्मार्थ माना जाता है, सरकार ऐसे नियम प्रदान कर सकती है जो शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगे, साथ ही कैपिटेशन शुल्क लेने पर रोक लगा सकते हैं और संस्था द्वारा मुनाफाखोरी. चूँकि एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य परिभाषा के अनुसार "धर्मार्थ" है, इसलिए यह स्पष्ट है कि एक शैक्षणिक संस्थान ऐसा शुल्क नहीं ले सकता है जो

उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षा मूलतः धर्मार्थ प्रकृति की होती है। हालाँकि, उचित राजस्व अधिशेष हो सकता है, जो शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।

29. **इस्लामिक एकेडमी** *केस (सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फिर से विचार के लिए आया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एमए **पाई फाउंडेशन के** मामले *(सुप्रा)* में निर्धारित कानून का पालन किया और माना कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिकतम स्वायत्तता मिलनी चाहिए। **टीएमए पाई फाउंडेशन** में फैसले के पैरा 56 की व्याख्या करते हुए , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक की स्वायत्तता को अपनी फीस संरचना के निर्धारण और संबंधित के संबंध में स्पष्ट रूप से बरकरार रखा। जैसा कि टी.एमए **पाई फाउंडेशन मामले में कहा गया है,** ली जाने वाली फीस पर निर्णय अनिवार्य रूप से निजी संस्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा देखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि निजी संस्थान को अपनी फीस संरचना तय करने का अधिकार है, लेकिन कोई मुनाफाखोरी और कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है। वर्तमान मामले की तरह, **इस्लामिक अकादमी के मामले** *(सुप्रा) में पेश होने वाले पक्ष भी विभिन्न अनुच्छेदों और टी.एमए* **पाई फाउंडेशन के** *मामले (सुप्रा) में* की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते थे । इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **इस्लामिक अकादमी मामले** *(सुप्रा)* में विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को सूचीबद्ध किया ।

(1) क्या शैक्षणिक संस्थान अपनी स्वयं की फीस संरचना तय करने के हकदार हैं;

(2) क्या अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक ही स्तर पर खड़े हैं और उनके पास समान अधिकार हैं;

(3) क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेज 100% की सीमा तक अपनी सीटें भरने के हकदार हैं, और यदि नहीं तो किस हद तक; और

(4) चाहे निजी, गैर-सहायता प्राप्त, व्यावसायिक कॉलेज प्रवेश की अपनी पद्धति विकसित करके छात्रों को प्रवेश देने के हकदार हैं।"

(30) इस प्रकार, शैक्षणिक संस्थानों के अपने स्वयं के शुल्क ढांचे को तय करने के अधिकार के सवाल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **इस्लामिक अकादमी के मामले (सुप्रा) में** भी विचार किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, बहुमत के फैसले का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। अदालत ने आगे कहा कि:-

> " सरकार द्वारा कोई कठोर शुल्क संरचना नहीं हो सकती। प्रत्येक संस्थान को चलाने के लिए धन उत्पन्न करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए
>
> संस्थान और छात्रों के लाभ के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। उन्हें अधिशेष उत्पन्न करने में भी सक्षम होना चाहिए जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों की बेहतरी और विकास के लिए किया जाना चाहिए।

(31) **टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले (सुप्रा)** में फैसले के पैराग्राफ 56 का संदर्भ देने के बाद , यह देखा गया कि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि ली जाने वाली फीस पर निर्णय आवश्यक रूप से निजी शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो सहायता नहीं लेते हैं। और जो सरकार के किसी भी फंड पर निर्भर नहीं हैं। प्रत्येक संस्थान को अपनी स्वयं की शुल्क संरचना रखने का अधिकार दिया गया था और प्रत्येक संस्थान के लिए यह शुल्क संरचना उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, किए गए निवेश, शिक्षकों और कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन, विस्तार की भविष्य की योजनाओं और/को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। या निवेश की बेहतरी आदि। यहां फिर से यह देखा गया कि कोई मुनाफा नहीं हो सकता है और कैपिटेशन फीस नहीं ली जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टीएमए पाई फाउंडेशन के** मामले में व्यक्त बहुमत के विचार में इस आशय की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य रूप से प्रकृति में धर्मार्थ है और, इस प्रकार, जो अधिशेष/मुनाफा उत्पन्न किया जा सकता है, वह अवश्य ही होना चाहिए। शिक्षा संस्थान का लाभ. यह भी माना जाता है कि लाभ/अधिशेष को किसी अन्य उपयोग और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ और किसी अन्य व्यवसाय या उद्यम के लिए नहीं किया जा सकता है।

(32) गौरतलब है कि अदालत ने यह भी देखा कि कुछ क़ानून/विनियम हैं जो शुल्क के निर्धारण को नियंत्रित करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी देखा कि अदालत ने अभी तक इन क़ानूनों/विनियमों की वैधता पर विचार नहीं किया है और तदनुसार प्रत्येक राज्य को एक नियमावली स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। शुल्क संरचना पर विचार करने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(एल)(जी) के तहत एक संस्था स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। हालाँकि, ऐसा अधिकार उचित प्रतिबंध के अधीन है, जिसे **टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले** और **इस्लामिक अकादमी** मामले *(सुप्रा)* में निर्धारित कानून के अनुसार लगाया जा सकता है।

(33) 3) एक बार फिर, एक मुद्दा पी में विचार के लिए आया। **ए. इनामदार का मामला** *(सुप्रा) I* अदालत ने इस मामले में विचार के लिए जो चार प्रश्न तैयार किये उनमें से दो थे:-

> "(i) क्या इस्लामिक एकेडमी *(सुप्रा)* छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को देय शुल्क को विनियमित करने के मामले में दिशानिर्देश जारी कर सकती थी? और;
>
> (34) क्या प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना को इस्लामिक अकादमी के मामले में गठित होने वाली समितियों द्वारा विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है **?**

(34) **पीए इनामदार के मामले** में अदालत का वास्तविक कार्य टी.एमए पाई फाउंडेशन के मामले के अनुपात निर्णय को रद्द करना था और यह जांचना था कि क्या इस्लामिक अकादमी में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण टीएमए पाई के विपरीत था। फाउंडेशन का मामला और यदि हां तो किस हद तक. **पीए इनामदार के मामले** में सात-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसे **टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले** *(सुप्रा)* में विचार के लिए उठे कई मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय नहीं देनी थी। बेंच ने स्पष्ट रूप से देखा है कि भले ही वह टीएम.ए में बहुमत द्वारा कानून की घोषणा के समान किसी भी निष्कर्ष से असहमत हो। पई फाउंडेशन मामले में, ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया फैसला ऐसा नहीं हो सकता जिसे इस पीठ के लिए बाध्यकारी बताया गया हो। तदनुसार, न्यायालय ने देखा कि वह असहमति या

असहमति व्यक्त नहीं कर सकता, भले ही वह किसी भी मुद्दे पर ऐसा करने के लिए इच्छुक हो। कानून की स्थिति होने के नाते, **इस्लामिक अकादमी के मामले में की गई किसी भी टिप्पणी की स्थिति भी यही होगी।**

(35) शुल्क संरचना के संबंध में, अदालत ने **टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले की व्याख्या** करते हुए माना है कि एक उचित शुल्क संरचना स्थापित करना भी अनुच्छेद 30(1) के अर्थ के तहत "संस्था की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार" का एक घटक है। **टीएमए पाई फाउंडेशन के** *सीए एसई (सुप्रा)* में घोषित कानून के अनुसार संविधान । आगे यह देखा गया है कि प्रत्येक संस्थान इस सीमा के अधीन अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है कि कोई मुनाफाखोरी नहीं हो सकती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:-

> "प्रश्न 3 पर हमारा उत्तर यह है कि प्रत्येक संस्थान अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मुनाफाखोरी को रोकने के हित में इसे विनियमित किया जा सकता है। कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता।"

(36) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील न केवल संविधान के अनुच्छेद 41 की आज्ञा का पालन करेंगे, जो राज्य को शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान बनाने का आदेश देता है, बल्कि **मेडविन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा करेगा। एजुकेशनल सोसायटी का मामला** *(सुप्रा) /* इस संबंध में संदर्भ

न्यायालय द्वारा इस आशय की की गई टिप्पणियों पर आधारित है कि शिक्षा संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार यद्यपि सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। तदनुसार इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस अदालत को यह देखना होगा कि हरियाणा राज्य द्वारा विवादित परिपत्र जारी करके लगाया गया प्रतिबंध उचित है या नहीं। परिपत्र में जारी निर्देश को उचित ठहराने के लिए, इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्कूलों को कमी को पूरा करने के लिए अपने मौजूदा रिजर्व का उपयोग करके बढ़े हुए वेतन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहा गया है। दलील यह है कि प्रत्येक स्कूल के पास आरक्षित निधि है और इसलिए निर्देश का यह हिस्सा जारी किया जा सकता है और यह उचित है। निर्देश का दूसरा भाग यह है कि यदि कमी को मौजूदा भंडार से पूरा नहीं किया जा सकता है, तो कमी को पूरा करने के लिए ट्यूशन फीस बढ़ाई जा सकती है।

(37) इस आशय से जारी निर्देश कि ट्यूशन फीस को प्रचलित फीस के 20% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, नियमों की धारा 16(2) और नियम 158 के संदर्भ में उचित है। **मॉडर्न स्कूल के मामले** *(सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा किया गया है, जहां यह देखा गया है कि शिक्षा निदेशक के पास स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस की मात्रा को विनियमित करने का अधिकार है। उद्देश्य शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना है। यह अवलोकन मुख्य रूप से दिल्ली शिक्षा अधिनियम में किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया है। इस अधिनियम की धारा 18(3) प्रत्येक मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के लिए "मान्यताप्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल फंड" नामक एक निधि बनाए रखने का प्रावधान करती है, जिसमें फीस, शुल्क और योगदान के माध्यम से स्कूल को होने वाली आय शामिल है। अधिनियम की धारा 18(4)(ए) में प्रावधान है कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस के माध्यम से प्राप्त आय का उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। बनाए गए नियमों के नियम 172(1) में कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल को चलाने वाले ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा किसी भी छात्र से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त। इन प्रावधानों और नियमों के कुछ अन्य प्रावधानों की व्याख्या करते समय, ये टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से की गई हैं।

(38) 8)हरियाणा एक्ट के प्रावधान और कुछ अलग। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, आक्षेपित आदेश अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) और (5) और नियम 30 (XXVI, XXVII), 158 के साथ पठित धारा 16(3), 21(3) के तहत पारित किया गया है। शिक्षा नियमावली के 159, 160. धारा 16(3) के अनुसार प्रबंधक को आगामी शैक्षणिक सत्रों के दौरान ऐसे स्कूल द्वारा लगाई जाने वाली फीस का पूरा विवरण निदेशक के पास दाखिल करना होगा, और निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई भी स्कूल शैक्षणिक सत्र के दौरान शुल्क नहीं ले सकता है। द्वारा निर्दिष्ट शुल्क से अधिक कोई शुल्क

प्रबंधक। इस प्रकार, इस प्रावधान को निदेशक को फीस संरचना पर सीमा लगाने के लिए निर्देश जारी करने के लिए सशक्त बनाने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। नियम 158 फिर से ली जाने वाली फीस और धनराशि को अधिसूचित करने और प्रबंधक को प्रदान की जा रही न्यूनतम सुविधाओं और ली जाने वाली अधिकतम फीस का विवरण फॉर्म VI में जमा करने की बात करता है। प्रबंधक को आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान ऐसे स्कूलों द्वारा लगाए गए शुल्क और सभी प्रकार के फंडों का पूरा विवरण दाखिल करना होगा और इस प्रकार कोई भी स्कूल प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट शुल्क/निधि से अधिक कोई शुल्क नहीं लेगा। . अधिनियम की धारा 17 गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्राप्त आय का उपयोग केवल ऐसे शिक्षा उद्देश्यों के लिए करने का प्रावधान करती है जो निर्धारित किए जा सकते हैं। ऐसे प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल की प्रबंध समिति को निदेशक के पास विधिवत लेखापरीक्षित वित्तीय और अन्य रिटर्न, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। इस प्रकार, ये प्रावधान स्पष्ट रूप से निदेशक को गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए कोई शुल्क संरचना निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, निदेशक के पास स्कूलों के कामकाज में दोषों और कमियों को दूर करने की शक्ति है और यदि वह ऐसे कोई निर्देश जारी करता है और प्रबंध समिति उनका पालन करने में विफल रहती है, तो निदेशक ऐसी कार्रवाई करने का हकदार है जिसमें शामिल हो सकते हैं सहायता रोकना, मान्यता वापस लेना या प्रबंधन अपने हाथ में लेना, इस प्रकार, ये प्रावधान किसी भी तरह से निदेशक के पास फीस तय करने के लिए निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं छोड़ते हैं।

(39) **टी.एमए पाई फाउंडेशन के मामले** *(सुप्रा)* में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ की आधिकारिक घोषणा का विस्तार से संदर्भ दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थान अपनी फीस संरचना तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अधिनियमित हरियाणा अधिनियम के प्रावधान इन टिप्पणियों के अनुरूप हैं।

(40) **पाई फाउंडेशन के मामले में** निर्धारित कानून के अनुपात को एक से अधिक अवसरों पर शुरू में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा और बाद में **इस्लामिक अकादमी** और **पीए इनामदार** *(सुप्रा)* के मामलों में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है। जहां तक फीस तय करने के शिक्षा संस्थान के अधिकार के पहलू का सवाल है, यह लगातार माना जाता रहा है कि संस्थान अपनी फीस संरचना तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, जो नहीं किया जा सकता है और निश्चित रूप से जाँच की जा सकती है वह यह है कि कोई मुनाफाखोरी नहीं की जा सकती है और कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है। निर्धारित कानून के आलोक में आक्षेपित परिपत्र का विश्लेषण करने पर, यह सामने आएगा कि निर्देश इस आधार पर जारी नहीं किए गए हैं कि स्कूल कुछ मुनाफाखोरी में लिप्त हैं या कैपिटेशन फीस का उपयोग कर रहे हैं। **टीएमए पाई**

फाउंडेशन के मामले *(सुप्रा)* में निर्धारित कानून का विस्तृत संदर्भ यह दिखाएगा कि शिक्षा स्थापित करने का अधिकार□

संस्थान को विनियमित किया जा सकता है लेकिन ऐसे नियामक उपाय उचित शैक्षणिक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए। एक कठोर शुल्क संरचना तय करना, एक शासी निकाय के गठन और संरचना को निर्देशित करना, नियुक्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का अनिवार्य नामांकन या प्रवेश के लिए छात्रों को नामांकित करना अस्वीकार्य प्रतिबंध माना गया था। अदालत ने कहा है कि बेहतर कामकाजी परिस्थितियाँ बेहतर शिक्षकों को आकर्षित करेंगी और अधिक सुविधाएँ सुनिश्चित करेंगी कि बेहतर छात्र संस्थान में प्रवेश लेंगे। इसके अलावा, घटक शिक्षण संकाय और अन्य बुनियादी ढांचे के रूप में छात्रों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने में पैसा खर्च होगा। ये वे विचार थे जिनके आधार पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि वह सरकार से कोई सहायता नहीं लेना चाहती है तो शुल्क संरचना तय करने का काम संस्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने शिक्षा को भी एक व्यवसाय माना है, जो एक प्रकार से धर्मार्थ माना जाता है। तदनुसार, सरकार को ऐसे नियम प्रदान करने का अधिकार दिया गया जो शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित कर सके और किसी संस्थान द्वारा कैपिटेशन शुल्क वसूलने और मुनाफाखोरी को भी रोक सके। ऐसी संस्था जो एक हद तक धर्मार्थ है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा के विकास और विस्तार के उद्देश्य से शिक्षा संस्थान द्वारा उत्पन्न होने वाले राजस्व अधिशेष की आवश्यकता भी महसूस की गई। स्पष्टतः इन पहलुओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया है। बल्कि, याचिकाकर्ता संस्थानों को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर शिक्षकों को वेतन देने की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने आरक्षित भंडार को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, जो एक तरह से इन संस्थानों को राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने से रोक देगा और अंततः नेतृत्व को बढ़ावा देगा। संस्था के विकास और विस्तार को रोकना। निदेशक निश्चित रूप से उस स्थिति में निर्देश जारी करने की स्थिति में होते जब उन्हें पता चलता कि स्कूल कैपिटेशन शुल्क वसूलने में लिप्त हैं या मुख्य रूप से मुनाफा कमाने का सहारा ले रहे हैं। विवादित अधिसूचना में इन दोनों पहलुओं में से किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया है और संस्थानों को कमी को पूरा करने के लिए अपने मौजूदा भंडार का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है और यदि फिर भी शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है, तो 20% की सीमा है। पिछले वर्ष की ट्यूशन फीस.

(41) याचिकाकर्ता संस्थानों की यह शिकायत करना उचित होगा कि यह सीमा बिना किसी अध्ययन के लगाई गई है, यदि 20% वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करेगी जो संस्थानों को वहन करनी होगी। निवेदन यह भी है कि सुविधाओं के संबंध में कोई भी अध्ययन किए बिना यह प्रतिबंध सभी संस्थानों में समान रूप से लगाया गया है।
वह आर्क एक विशेष संस्था द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के वकील दलील देंगे कि यह दिमाग का इस्तेमाल न करने को प्रतिबिंबित करेगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता संस्थान इस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता खंड का उल्लंघन कहेंगे और जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 19 (6) में निहित इस संस्थान को चलाने के उनके मौलिक अधिकार को कम कर देगा। संविधान। जाहिर तौर पर यह दलील बेबुनियाद नहीं है, जब यह आग्रह किया जाता है कि निदेशक संस्थान से उनके द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च का विवरण देने के लिए कहकर अपना दिमाग लगा सकते थे। निदेशक इन सभी पहलुओं पर गौर कर सकते थे और सक्षम रूप से कुछ निर्देश जारी कर सकते थे यदि उन्हें पता चला कि वृद्धि केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से है या यदि कोई कैपिटेशन शुल्क लिया जा रहा है। जैसा कि यह आदेश है, यह आभास देता है कि ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी और बिना किसी आधार के वृद्धि में 20% की सीमा तय कर दी गई थी। जिन बातों को वास्तव में ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उन्हें जाहिरा तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है।

(42) **मॉडर्न स्कूल का मामला** *(सुप्रा) स्पष्ट रूप से कोई अलग दृष्टिकोण नहीं ले रहा है और शायद* **टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले** *(सुप्रा)* में निर्धारित कानून के अनुपात के खिलाफ नहीं जा सकता है। यह पाया गया कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को शुल्क संरचना के निर्धारण के लिए बड़ी स्वायत्तता प्राप्त थी क्योंकि ये शिक्षा के विकास और संस्थान के विस्तार के लिए उचित अधिशेष उत्पन्न करने के हकदार थे। इस प्रकार **मॉडर्न स्कूल के मामले** *(सुप्रा)* में , यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जो निषिद्ध है वह है शिक्षा का व्यावसायीकरण और किसी अन्य उपयोग या उद्देश्यों के लिए लाभ/अधिशेष का उपयोग और व्यक्तिगत लाभ या अन्य व्यवसाय या उद्यम के लिए उसका उपयोग। **मॉडर्न स्कूल के मामले** में मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस वसूलने पर प्रतिबंध पर प्रकाश डाला गया । निस्संदेह, यह देखा गया कि ऐसे संस्थानों की स्वायत्तता और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार, **मॉडर्न स्कूल के** *मामले (सुप्रा)* में भी, अदालत को शुल्क संरचना तय करने के लिए ऐसे संस्थान की स्वायत्तता और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए अधिकारियों के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता थी। विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-1) निश्चित रूप से ऐसा कोई संकेत नहीं देता है कि इस आदेश का उद्देश्य व्यावसायीकरण को रोकना या मुनाफाखोरी को रोकना है। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि शुल्क इस तरह से तय किया गया है जिससे मुनाफाखोरी हो रही है या इसके परिणामस्वरूप शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है या यदि कोई कैपिटेशन शुल्क लिया जा रहा है, तो प्रतिवादी अधिकारियों को शुल्क निर्धारण को विनियमित करने का अधिकार होगा। अधिनियम के प्रावधान के अवलोकन से यह भी पता चलेगा कि प्रबंधक द्वारा फाइल करना सुनिश्चित करना
हर साल शुल्क संरचना का विवरण जारी करने के बाद, अधिकारी केवल यह देखने की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं कि क्या गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा कोई व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी की जा रही है। यदि अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, तो वे निश्चित रूप से टी.एमए **पाई फाउंडेशन** और **इस्लामिक अकादमिक आदि में निर्धारित कानून के मद्देनजर कार्रवाई करने की स्थिति में होंगे।**

(43) **टीएमए पाई फाउंडेशन** और **इस्लामिक अकादमिक आदि** *(सुप्रा)* में प्रतिपादित सिद्धांत का संदर्भ देकर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे सचित्र पाया गया था। यह देखा गया है कि ये सिद्धांत अधिशेष और बचत के एक हिस्से के निर्धारण से संबंधित नहीं थे। यह देखा गया कि जारी किए गए कुछ निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को एक बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता तैयार करना आवश्यक था। ऐसी स्थिति ऐसी प्रकृति की पाई गई जो इस संबंध में नियम का उप-संयंत्र नहीं करती थी। यह देखा गया कि यदि उचित शुल्क संरचना परीक्षण है, तो पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 16(3) और 21(3) और धारा 17 सहित अन्य नियमों का यही उद्देश्य है। इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा का शुद्ध परिणाम यह है कि ट्यूशन फीस में 20% से अधिक की वृद्धि तय करने की सीमा तय करने वाला आक्षेपित आदेश क़ानून के दायरे से परे है और साथ ही निर्धारित कानून का उल्लंघन भी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय। हालाँकि, मैं यहाँ यह जोड़ना चाहूँगा कि यदि स्कूल शिक्षा निदेशक को लगता है कि याचिकाकर्ता संस्थान किसी

भी तरह से मुनाफाखोरी का सहारा ले रहे हैं और व्यावसायीकरण के उद्देश्य से शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं या कैपिटेशन शुल्क ले रहे हैं, तो निदेशक निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। शुल्क वसूलने में इस हद तक हस्तक्षेप करने के लिए निर्देश जारी करने में सक्षम स्थिति में हो कि इससे व्यावसायीकरण/मुनाफा आदि हो। याचिकाकर्ता संस्थानों को वार्षिक रिटर्न जमा करने की आवश्यकता के उत्तरदाताओं के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी गई है। फॉर्म IV में विवरण और यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाताओं के अधिकार में है। यदि यह माना जाए कि निदेशक के पास मुनाफाखोर व्यावसायीकरण या कैपिटेशन शुल्क वसूलने की जांच करने के लिए कोई निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है, तो इन रिपोर्टों को मांगना निरर्थक अनुष्ठान होगा। केवल यह पता लगाए बिना कि संस्थान कैपिटेशन शुल्क वसूल रहे हैं या मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यावसायीकरण में लिप्त हैं, शुल्क संरचना तय करने में हस्तक्षेप करने का अधिकार इन संस्थानों के इस व्यवसाय में शामिल होने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध होगा।

(44) तद्नुसार रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-1) रद्द किया जाता है। हालाँकि, प्रतिवादी-निदेशक स्कूल शिक्षा को पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने और ऊपर बताए अनुसार कानून के अनुसार उचित आदेश/निर्देश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि निदेशक को पता चलता है कि वर्तमान संस्थान किसी व्यावसायीकरण, मुनाफाखोरी या कैपिटेशन शुल्क वसूलने में लिप्त हैं, तो उनके पास उचित आदेश पारित करके इसकी जाँच करने और रोकने का अधिकार होगा। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नही

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा